



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी संख्या - 3134 वर्ष 2026

हर प्रसाद और 2 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) बरेली क्षेत्र बरेली को केस संख्या 2270/2025 (कंप्यूटर केस संख्या C202512000002270) (हर प्रसाद और 2 अन्य बनाम सौरभ सिंह और अन्य) में दायर स्थगन आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला अवर न्यायालय में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) बरेली क्षेत्र को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायर स्थगन आवेदन पर कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः अवर न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)
12 फरवरी, 2026
सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"